अपील संख्या : A(D) – 2417/2010

अपीलकर्ता : श्री मनीष कुमार, विजय नगर, अधोईवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

बनाम

प्रतिवादी:

1. लोक सूचना अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून।
3. लोक सूचना अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0), मसूरी, जिला देहरादून।
4. निदेशक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया– रानीखेत, अल्मोड़ा।
5. प्रमुख वन संरक्षक, दिलाराम बाजार, राजपुर रोड़, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, 85 राजपुर रोड़, देहरादून।
7. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
8. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त (एफ0आर0डी0सी0) देहरादून।
9. पुलिस महानिदेशक, 12 सुभाष रोड़ मार्ग, देहरादून।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा :

अपीलार्थी उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय की ओर श्री भगवत सिंह विष्ट एवं अपीलीय अधिकारी/उद्यान विभाग की ओर से श्री के0एल0 थपलियाल उपस्थित हैं।

लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून के द्वारा आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/08/2010 के क्रम में अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा एकजायी शासनादेश निर्गत करने के संबंध में सचिव, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य पालन श्री विनोद फोनिया द्वारा अपने पत्र दिनांक 07/08/2010 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश जारी करने के संबंध में कार्यवाही गतिमान है। शासनादेश जारी होने तक सचिव, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य पालन श्री विनोद फोनिया द्वारा जारी कार्यवृत्त दिनांक 07/08/2010 के अनुसार वृक्षों के पातन के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवृत्त में उल्लिखित किया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह अवगत कराते हुए कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के मई, 2010 में शासनादेश संख्याः 442/X –3–10–21 (08)/2010 दिनांक 21 मई, 2010 के द्वारा देहरादून शहरी क्षेत्र में पेड़ो के कटान सम्बन्धी विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत कटान सम्बन्धी समस्त प्रकरण वन विभाग के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जायेंगे तथा शासन से ही कटान की अनुज्ञा जारी होगी।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 (XII) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, अतः उद्यान विभाग के द्वारा माह जून–जुलाई 2010 में जारी स्वीकृतियॉ उक्त शासनादेश के अनुकूल नहीं हैं। जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून द्वारा सचिव महोदय के संज्ञान में लाया गया है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कटान हेतु स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का प्राविधान किया गया है तथा शासनादेश संख्या 1939/14–प.भू.वि. –07–7/93 दिनांक 14/08/1997 के द्वारा क्षेत्रों एवं वृक्षों के वर्ग को स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी को अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों के प्रयोग हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन दिये गये हैं। इस शासनादेश में उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम 1985 के अधीन विज्ञापित फल पट्टी क्षेत्रों के फलदार वृक्षों हेतु सक्षम प्राधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी को अधिसूचित किया गया है। बैठक के दौरान यह भी चर्चा में आया कि दो विभागों से पेड़ काटने की स्वीकृतियॉ जारी होने की व्यवस्था संचालित होने के कारण जहॉ एक तरफ एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों विभागों से स्वीकृतियॉ प्राप्त कर लेने की स्थिति पैदा हो रही है जैसा कि वर्तमान में होरावाला पेड़ कटान में हुआ वहीं पेड़ों के अवैध कटान में भी प्रभावकारी नियंत्रण में कठिनाई हो रही है। उक्त बैठक में दोनों विभागों उद्यान विभाग एवं वन विभाग के दायित्वों को स्पष्ट करने के संबंध में निम्न निर्णय लिये गये हैं:

1. सभी क्षेत्र एवं श्रेणी के वृक्षों के पातन/कटान की अनुज्ञा वन विभाग द्वारा ही जारी किया जाना ही जनहित में होगा।

2. जहॉ फल वृक्षों के पातन तकनीकी आधार पर किया जाना हो जैसे वृक्ष की फलदायी क्षमता में गिरावट, बीमारी एवं कीट के अत्यधिक प्रकोप वहॉ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से तकनीकी आख्या अवश्य प्राप्त किया जाना उचित होगा।

3. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के राजकीय उद्यान में लगे फल पौधों के पातन हेतु उद्यान विभाग सक्षम होगा।

4. औद्यानिक फलपौधों का तकनीकी दृष्टि से जीर्णोद्धार हेतु कृतन (प्रूनिंक) एवं छत्रक (कैनोपी) प्रबन्धन की अनुमति हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सक्षम होगा जिसमें मुख्य तने की कटाई अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे बागानों/वृक्षों की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी को भी निकासी हेतु देनी होगी।

3. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा शासनादेश जारी होने तक सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 07/08/2010 को दिये गये निर्णय के अनुरूप वृक्षों के पातन के संबंध में निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लिये गये निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को भी 2 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायी जाये।

4. लोक सूचना अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, देहरादून एवं लोक सूचना अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को निर्देशित किया जाता है कि आयोग के निर्देश के क्रम में शासन स्तर से जारी किये जाने वाले एकजायी संकलित शासनादेश के संबंध में एक माह के अंदर अपीलार्थी एवं आयोग को अवगत करायें ताकि अपीलार्थी को वास्तविक सूचनायें उपलब्ध हो सके।

5. पत्रावली दिये गये निर्देशों के अनुपालन के लिए दिनांक 03/12/2010 को प्रस्तुत की जाये।

(विनोद नौटियाल)
सूचना आयुक्त
11.10.2010

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
निर्गत
तिथि..........
ह0..........